(120)

227

II/निग0/रीवा/2018/0444

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0,

गणेश सिंह तनय स्व0 कामता सिंह निवासी चौपड़ा स्कूल के पास, कुआ के पास विछिया रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0,

................निगरानीकर्ता

बनाम

1. शिवशंकर सिंह दत्तक ग्रहीता पिता स्व0 इन्द्रपाल सिंह उम्र 40 वर्ष पेशा स्व0 रोजगार निवासी 277, 81/49 साउथ टी.टी. नगर भोपाल म0प्र0,
2. महेश सिंह तनय स्व0 रामराज सिंह उम्र 50 वर्ष पेशा नौकरी निवसी उपरहटी वार्ड कमांक-36 रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0,
3. ज्योति सिंह तनय स्व0 कैलाश सिंह उम्र 18 वर्ष,
4. दिब्यराज सिंह तनय स्व0 कैलाश सिंह उम्र 10 वर्ष,
5. शिवानी सिंह पुत्री स्व0 कैलाश सिंह उम्र 16 वर्ष,
6. शीतल सिंह तनय स्व0 कैलाश सिंह उम्र 12 वर्ष,
7. दिब्यानी सिंह पुत्री स्व0 कैलाश सिंह उम्र 13 वर्ष,

   4 ता 7 नाबालिक जरिये संरक्षक मां नगीना सिंह ,
8. नगीना सिंह पत्नी स्व0 कैलाश सिंह उम्र 43 वर्ष,

   सभी निवासी उपरहटी वार्ड नं0 36 रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0,

..................गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0, के प्रकरण कमांक-157/अ-6/2016-17 आदेश दिनांक-05.01.2018,

(120)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक II / निग0 / रीवा / भू–रा0 / 2018 / 0444 जिला–रीवा

गणेश सिंह / शिवशंकर सिंह वगैरः

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री गंगा प्रसाद तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर के प्रकरण क्रमांक 157 / अ–6 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 05.01.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 04.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	